

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संचिका संख्या – 3/स्था०(4) 05/2014 –

/पटना-15, दिनांक –

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 18301, दिनांक 15.11.2024 द्वारा श्रीमती दीपा रानी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 26.02.2020 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान बैण्ड— ₹ 9300-34800/- + ग्रेड वेतन— ₹ 4800/- पुनरीक्षित वेतन स्तर-08 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के आलोक में उनके वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नवत वेतन निर्धारण किया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.07.2020 को वेतन स्तर-07 में प्राप्त वेतन	दि० 01.07.2020 के प्रभाव से वेतन स्तर-08 में द्वितीय MACP दिये जाने के पश्चात् निर्धारित मूल वेतन	दि० 01.07.2021 को वेतन स्तर-08 में मूल वेतन	दिनांक 01.07.2024 को वेतन स्तर-08 में मूल वेतन
1.	श्रीमती दीपा रानी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	₹ 50,500/-	₹ 53,600/-	₹ 55,200/-	₹ 60,400/-

- श्रीमती रानी की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2025 होगी।
- श्रीमती रानी को दिये गये द्वितीय एम०ए०सी०पी० के आलोक में उन्हें आर्थिक लाभ दिनांक 01.07.2020 के प्रभाव से देय होगा।
- उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर कम अथवा अधिक भुगतान की गयी राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(4) 05/2014 –

पटना-15, दिनांक –

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले० एवं ह०)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(4) 05/2014 –

पटना-15, दिनांक –

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

झापांक - 3/स्था०(4) 05/2014 -

146

पटना-15, दिनांक - 14/01/25

प्रतिलिपि - अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय/लेखा शाखा, पशुपालन निदेशालय/
श्रीमती दीपा रानी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/01/25

सरकार के अवर सचिव।